Smt. Shanta Singh
Dept. of LSW
SNSRKS College, Saharsa

हड़ताल का अधिकार
(Right to strike)

हमने औद्योगिक संघर्ष के कारणों एवं इसके अच्छे-बुरे परिणामों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार मिलना चाहिए? यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हड़तालें क्यों की जाती हैं— हड़तालों का आयोजन उस समय किया जाता है जबकि सेवायोजक या प्रबन्धक श्रमिकों का शोषण करते हैं। साधारणतया श्रमिक वर्ग दुर्बल होता है और उनके पास सीमित साधन होते हैं और उनमें एकता का अभाव पाया जाता है। श्रमिक अपने श्रम संगठनों द्वारा मिल- मालिकों के समक्ष अपनी माँगें एवं कठिनाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। हड़तालों का आयोजन श्रमिक द्वारा अधिक मजदूरी प्राप्त करने, कार्य की दशाओं में सुधार करने, छुट्टी, भविष्य निधि में किया जाता है। हड़तालों का आयोजन श्रमिकों की छँटनी, सेवामुक्ति, मजदूरी में कटौती, यन्त्रीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा श्रमिकों के साथ प्रबन्धकों द्वारा दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी किया जाता है।

हड़तालों के विपक्ष में तर्क

आज की स्थिति में हड़तालों का समर्थन नहीं किया जा सकता। आज देश में इन हड़तालों एवं तालाबन्दियों से, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। सामान्यतः जन- सुरक्षा की दृष्टि से हड़तालें एवं तालाबन्दियाँ कष्टप्रद मानी जाती हैं। ये सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकारों पर अतिक्रमण हैं तथा इसके प्रभाव बुरे होते हैं।

Scanned with CamScanner

चाहे उद्योग कुछ भी न हों। खण्डुभाई देसाई ने भी कहा है "वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रजातंत्र में हड़ताल और तालाबन्दी न केवल असामाजिक हो गए हैं, अपितु उन उद्योगों के लिए भी जिनके लिए ये किये जाते हैं, पूर्णतया हानिप्रद हैं।"

प्रो॰ हॉब्सन (Hobson) ने लिखा है "हड़ताल या तालाबंदी का अधिकार पूर्णरूपेण समाप्त कर देना चाहिए। यह अन्याय-पूर्ण है क्योंकि औद्योगिक संघर्ष की इस स्थिति में यह शक्ति के प्रयोग पर आधारित है। यदि हम श्रमिक की दुर्दशा को देखते हैं तो यह अमानवीय है। यह श्रम और पूँजी के साधनों को व्यर्थ बनाता है। चूँकि यह घृणा को जन्म देता है। इसलिए यह घृणित है। चूँकि यह सम्पूर्ण समुदाय की दृढ़ता को छिन्न-भिन्न कर देता है इसलिए यह असामाजिक है।" छोटे-छोटे मतभेदों को समझौते के आधार पर न सुलझाकर उन पर हड़ताल कर देना और छोटी-छोटी बात पर हड़ताल की धमकी देना उचित नहीं जान पड़ता। देश में समाजवादी ढाँचे की स्थापना के लिए उत्पन्न हो रही परिस्थितियों में हड़-ताल व तालाबन्दियों का समर्थन करना अनुचित है। भारत में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हड़ताल नहीं करता। डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, विद्यार्थी, श्रमिक, बुद्धिजीवी सभी वर्ग इसी रोग से ग्रस्त हैं, और समय-समय पर हड़तालें करते रहते हैं। आपात स्थिति की घोषणा के पूर्व हमारे देश में छोटी-छोटी सी बातों को लेकर हड़तालें कर दी जाती थीं जिन्हें वार्ताओं के माध्यम से सुलझाया जा सकता था।

कल-कारखानों में आये दिन हड़तालों के कारण देश के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साधनों की क्षति होती

है, राष्ट्रीय जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इससे न केवल जन-सामान्य बल्कि हड़ताल करने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। इस दुर्व्यवस्था से बचने का एक ही उपाय है कि हड़तालों की मान्यता समाप्त की जाय।

हड़ताल का अधिकार देने के पक्ष में तर्क

परन्तु यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार से तो वंचित नहीं किया जा सकता। मैना-योगकों द्वारा शोषण से मुक्ति पाने के लिए श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वे इस अधिकार का दुरुपयोग करें और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दें, ठप्प करदें। उनके इस अधिकार का प्रयोग मर्यादा के भीतर होना चाहिए। देश की समृद्धि एवं आम जनता के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं। उन्हें हड़ताल रूपी इस अस्त्र का प्रयोग केवल उसी समय करना चाहिए जबकि उनके संघर्ष को दूर करने के लिए कोई अन्य चारा न हो, हड़ताल का उपयोग करें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया है। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान में संगठन और संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिनियम द्वारा भी इस अधिकार की सुरक्षा होती है। फिर भी भारत में हड़ताल के इस अधिकार को असीमित नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष पर पूरा-पूरा ध्यान दें। उनके अभाव, अभियोग निवारण के लिए कारगर कदम उठायें ताकि उनमें असन्तोष की भावना पैदा न हो। साथ ही उनके द्वारा सम्पादित कार्य के अनुसार समुचित वेतन भी दिया जाए ताकि वे अपने कार्य के प्रति अधिक कर्तव्यपरायण हो सकें।

Scanned with CamScanner

यदि बढ़ती हुई हड़तालों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरे देश का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। हर नागरिक को बढ़ता हुआ व्यापक असन्तोष आक्रोशक, हिंसात्मक, विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सहारा लेगा और हिंसात्मक कार्यों का दैत्य हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन प्रणाली को सर्वथा निगल जाएगा। इस तरह हम विनाश के गर्त में धँसते चले जायेंगे। अतः हड़ताल देश के हित में नहीं है। जैसे भी हो हड़तालें न होने दी जायें। देश के नेतृत्व को इस दिशा में सोचना होगा और सक्रिय होने कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष- निष्कर्ष के रूप में यहाँ राष्ट्रीय श्रम आयोग (National Commission on Labour) के शब्दों में का उल्लेख करना उचित समझेंगे- जहाँ हम इस पक्ष में नहीं हैं कि हड़ताल तथा तालाबन्दी के अधिकार पर कोई रोक लगायी जाए वहाँ हम सीधी कार्यवाही (Direct Action) के अप्रतिबन्धित अधिकार का भी समर्थन नहीं करते। हमारे विचार से हड़ताल करने का अधिकार एक प्रजातन्त्रीय अधिकार है और हमारे देश में जो संवैधानिक ढाँचा लागू है उसके अन्तर्गत इस अधिकार को छीना ही नहीं जा सकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हम इस अधिकार के छीनने के कदम का समर्थन नहीं कर सकते। यदि श्रमिकों से हड़ताल करने के अधिकार को ले लिया गया तो उसका परिणाम केवल यही होगा कि असन्तोष को जड़ें गहरी होती जायेंगी और उनका विस्फोट फिर अन्य किसी रूप में होगा और इससे श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्धों के लिए कम वातावरण सिद्ध नहीं होगी। किन्तु इसके साथ ही साथ हमें एक बात भी नहीं भूलनी

चाहिए कि कुछ उद्योग अथवा सेवाएं इतनी अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होती हैं कि उनमें काम रुकने से सम्पूर्ण समाज की अर्थ-व्यवस्था को तथा देश की सुरक्षा को भी हानि पहुँच सकती है। अतः ऐसी दशा में इस अधिकार को कुछ सीमित या प्रतिबन्धित करना अन्याय पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आयोग ने यह भी सुझाया कि जहाँ इस अधिकार में कमी की जाए वहाँ विवादों के हल के लिए पंच निर्णय अथवा न्याय निर्णय जैसे वैकल्पिक उपायों की भी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। ये 'अत्यावश्यक' उद्योग या सेवायें कौन-सी हैं। इसका निर्णय संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

संसार का श्रम आन्दोलन का इतिहास बताता है कि उद्योगों में श्रमिक संघ के अभाव में असीमित शोषण हुआ है। भारत का ही उदाहरण दिया जाये, जहाँ पर 19वीं सदी में मजदूरों से 16-18 घण्टे काम लिया जाता था, तथा तरह-तरह के दुर्व्यवहार होते थे। इसका प्रतिकार तभी हो सका जब मजदूर संगठित हो गये।

जब तक समाज की अर्थ व्यवस्था शोषपूर्ण है मजदूरों के अधिकार में कटौती करना अन्याय होगा। मजदूर की हड़तालें एक रोगी के क्रन्दन के समान होती हैं। उसके कष्ट का कारण ढूंढकर उसका उपचार करना आवश्यक है।

परन्तु हड़ताल का दुरुपयोग मजदूरों के लिए भी हानिप्रद है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं:—

Scanned with CamScanner

(i) हड़ताल किसी न्यायपूर्ण माँग के लिए होनी चाहिए- अर्थात् किसी ऐसी माँग के लिए न हो जिसकी पूर्ति असम्भव है और जिसको पूरा करने से अवधि की समाप्ति हो जाये।

(ii) हड़ताल के पूर्व अन्य शान्तिपूर्ण बातचीत आदि के द्वारा समस्या सुलझाने का प्रयत्न होना चाहिए।

(iii) हड़ताल का प्रयोग बात-बात छोटी-मोटी बातों के लिए नहीं होना चाहिए।

(iv) देश के संकट के समय, अकाल, युद्ध, मन्दी आदि अवस्थाओं में हड़ताल का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(v) हड़ताल के समय हिंसा का सर्वथा त्याग होना चाहिए।

Scanned with CamScanner